दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 58* ❑ *अंक-7* ❑ *दिल्ली* ❑ *फरवरी 2020 (प्रथम)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

खींचें न कमानों को
न तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबिल हो
तो अखबार निकालो।

अकबर इलाहाबादी के ये शब्द पत्रकारिता के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम के वातावरण में क्रान्ति के सशक्त स्वरों को अभिव्यक्ति देकर जागृति की शंख ध्वनि करने वाले मौलाना आजाद का ''अलहिलात'', डॉ. अम्बेडकर का ''मूक नायक'', गणेश शंकर विद्यार्थी का ''प्रताप'' एवं महात्मा गांधी का ''हरिजन'' जैसे पत्रों ने पत्रकारिता को गरिमा प्रदान की है।

आजादी से पूर्व पत्रकारिता का दायित्व निभाना चुनौतिपूर्ण था क्योंकि देश के सामने स्वतन्त्रता को प्राप्त करना एकमात्र महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसके बावजूद जाति प्रथा और अछूतोद्धार आन्दोलन पर लेख प्रकाशित होते ही थे। 1920 से 1922 एक प्रकाशित होने वाली पत्रिका ''प्रभा'' के एक लेख का सारांश यह है – ''सच बात तो यह है कि इस जाति के पचड़े ने भारत को गारत करके मिट्टी में मिला दिया। तरक्की की जड़ यहां से एकदम उखड़ गयी, परन्तु ईश्वर की कृपा से अब कुछ अच्छे चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे हैं। जाति का बंधन अब शिथिल पड़ता जाता

दलित आन्दोलन : मीडिया की भूमिका

मुनव्वर ए. राही

है। विवाह में तो इसका प्रभाव सीमित ही है, पर बड़े बड़े शहरों में तथा शिक्षित समुदाय में हुए रद्दोबदल की झलक भली भांति प्रतीत होने लगी है। देखें, ईश्वर की कब कृपा होती है, कब भारत के अच्छे दिन आते हैं? देखें कब हमारा बूढ़ा भारत नये जीवन और कई आशाओं को लेकर पहले की भांति उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होता है?

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज एवं थियोसोफिकल सोसायटी आदि सुधारवादी प्रयासों से समाज की उनींदी आंखें खुलने की प्रक्रिया प्रारम्भा हो गयी थीं। चिन्तनशील विद्वान जाति प्रथा को देश की उन्नति में बाधक मानने लगे थे। जाति के बन्धन ढीले पड़ते देख कर भारत की उन्नति के लिये उनके मन में आशा कि किरणें फूटने लगी थीं, यद्यपि यह परिवर्तन उस समय शहरों तथा वर्ग विशेष तक ही सीमित था।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही सामाजिक सुधारों के आन्दोलनों ने पत्रकारिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। 1920 से 1947 तक के ऐतिहासिक काल में देश के सभी राज्यों विशेषकर दक्षिण और महाराष्ट्र में जाति व्यवस्था के अन्यायों को केन्द्र में रखकर अच्छी पत्रकारिता सामने आई। सुरेन्द्र मोहन ने अपने लेख सामाजिक न्याय आन्दोलन और भारतीय पत्रकारिता मे लिखा है कि वह पत्रकारिता राजनीति विशेषकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के भावों से भी परिपूर्ण थी और उस पर साम्यवादी तथा समाजवादी आन्दोलनों का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वह दौर उदारवादी मानसिकता की वृद्धि का काल था और उसमें वह पत्रकार भी थे जो स्वयं उत्पीड़ित समुदाय से सम्बद्ध थे। वे राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरणा लेते थे तथा साहित्य और कविता के क्षेत्रों में भी सामाजिक समता वाले विचार बराबर व्यक्त करते थे।

पत्रकारिता का इतिहास साक्षी है कि आजादी के पहले की पत्रकारिता उदारवादी मानसिकता से ग्रस्त थी, किन्तु शोषित और पीड़ित वर्ग में कार्य करने वाले प्रमुख जन नायकों के सम्बन्ध में न तो कोई विस्तृत अध्ययन ही किया गया, न कोई शोध किया गया, न आवश्यक के अनुरूप लेख ही लिखे गये, न पर्याप्त प्रचार किया गया। जो कुछ किया गया है, उसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। इससे उन जन नायकों का समुचित

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सम्पादकीय

शाहीन बाग की लपटें

दिल्ली के जामिया मिलिया यूनीवर्सिटी, ओखला के पास है शाहीन बाग वह जगह जहां 40 से भी ज्यादा दिनों से हजारों प्रदर्शनकारी महिलायें अपने बच्चों को लेकर धरना दे रही हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा पारित नागरिक संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन कानून (एन.सी.आर.) देश के संविधान के खिलाफ है और इनसे देश के नागरिकों को मिले संवैधानिक व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है। उनकी मांग है कि धर्म के आधार पर इंसानों को बांटने वाले इन काले कानूनों को वापिस लिया जाये। जब तक इन कानूनों को वापिस नहीं लिया जाता इसके खिलाफ उनका यह धरना–प्रदर्शन दिन–रात यूं ही चलता रहेगा।

इस शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों में जहां बहुतायत में मुस्लिम महिलायें धरने पर बैठी हैं, वहीं इन काले कानून के खिलाफ उनके समर्थन में सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग भी साथ दे रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली पुलिस भी शाहीन बाग के धरने को उठाने में भी हिचकिचा रही है क्योंकि यह धरना प्रदर्शन अहिंसक और शान्तिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इसलिए बार–बार धरना–प्रदर्शन खत्म करने की अपील तो कर रही है पर जोर जबर्दस्ती करने से बच रही है।

शाहीन बाग के धरना–प्रदर्शन–कारियों ने दिल्ली की भयंकर ठंड में भी इन दोनों काले कानूनों के विरोध में लोगों के अन्दर जबरदस्त गर्मी पैदा कर दी है। हर रोज कोई न कोई राजनेता, सामाजिक कार्यकर्त्ता, साहित्यकार, फिल्मी कलाकार वहां पहुंचकर उनके धरने–प्रदर्शन में उनका सहयोग करके उनका उत्साहवर्द्धन कर रहे हैं। उनके भोजन का प्रबन्ध गुरुद्वारे के लंगर से होता है, लोगों ने चन्दा इकट्ठा करके उनके लिए शमियाने, दरी गलीचे का बन्दोबस्त किया है। कुछ कलाकार, शायर, कविगण अपनी कविता, नज्म, शेरोशायरी से वातावरण को गरमाये रहते हैं। पेंटर–चित्रकार वहां अपने हाथ से भारत माता का चित्र बनाकर उसमें भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था दर्शाते हुए वहीं संविधान विरोधी दोनों काले कानूनों–सीएए व एन.सी.आर. को पूर्णतः नकारते हुए इन्हें सरकार से वापिस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हौंसले बुलन्द हैं और नये–नये लोगों के समर्थन ने उन्हें अपने इरादे पर डटे रहने के लिए और सुदृढ़ता प्रदान की है। भारतीय संविधान को आहत करने वाले इन दोनों कानूनों के विरोधी लोगों के लिए शाहीन बाग एक प्रेरणा स्थल बन गया है। दिल्ली के इस शाहीन बाग की लपटें अब देश के अन्य शहरों और गांवों तक फैल चुकी हैं और देश में बंगाल की खाड़ी (प. बंगाल) से गुजरात की कच्छ खाड़ी तक, तथा काश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों स्थानों पर अब शाहीन बाग की तर्ज पर धरने–प्रदर्शन हो रहे हैं।

आखिर, सी.ए.ए. यानि नागरिक संशोधन कानून क्या है और इसकी भाजपा की केन्द्रीय सरकार को क्यों जरूरत पड़ी? इस नागरिकता संशोधन कानून (सी.ए.ए.) में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश से 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत में आये हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

हिन्दी साहित्य में दलित नारी चेतना

डॉ. श्रीमती कमलेश कुमारी रवि

हमारे देश में आज भी स्त्री पराधीन है, पुरुष के अधीन है। पिता, पति और पुत्र के द्वारा थोपी गई व्यवस्थाओं के अधीन है, शोषण, कुपोषण, उपेक्षा और अपमान का जीवने जीने के लिए अभिशप्त है लेकिन अब स्त्री ने अपना चुनाव कर लिया है वह पहले अपनी पहचान बनाती है और बाद में दोस्ती। दलितों में दलित, आज स्वतन्त्र भारत की नारियों में नवचेतना और नव जागृति आई है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग होती जा रही हैं।

आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चलने की स्थिति में हैं फिर भी उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत महसूस हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति दलित समाज में पैदा हुआ है उसी ने पीड़ा, दुःख और यातनाओं को नजदीक से देखा और उसी के अनुरूप इलाज किया। ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति सवर्ण वर्ग में पैदा हुआ, उसने सिर्फ बाहरी आवरण यानि त्वचा का इलाज किया क्योंकि उसे अन्दर के घाव का ज्ञान ही नहीं था।

हिन्दी दलित साहित्य आन्दोलन के समर्थ रचनाकार ओमप्रकाश बाल्मीकि के अनुसार–''दलित शब्द दबाए गए, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित के अर्थों के साथ जब साहित्य में और प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है।

डॉ. माता प्रसाद के अनुसार–दलित साहित्य कठोर अनुभवों पर आधारित साहित्य है। दलित साहित्य में आक्रोश या विद्रोह की भावना प्रमुख है। किन्तु केवल आक्रोश या विद्रोह साहित्य है, ऐसा मानना पूरी तरह सच नहीं है। दलित साहित्य में जहां सामाजिक दर्द है, जातिवाद की पीड़ा है, शोषण तथा उत्पीड़न की कसक है, वहीं जाति उत्पीड़न तथा शोषण के कारणों की तलाश भी है। इसमें भाग्यवाद को अस्वीकार करने की भावना भी है। दलित साहित्य छन्द विधान को तोड़ता है और जनभाषा का हिमायती है।

डॉ. अम्बेडकर का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित होओ, संघर्ष करो तथा अत्त दीपो भव। आपका मत था कि सामाजिक क्राांति एवं परिवर्तन में नारी वर्ग को भी पुरुष वर्ग की सहयोगी बनाना होगा। आपने बम्बई की एक महिला सभा को सम्बोधित करते हुए कहा–''नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बड़ा होता हे, नारी को जाग्रत किये बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है'' उन्होंने

सदियों से स्त्रियों के पांवों में दासता की जो बेड़ियां पड़ी थीं, खुल गई और स्वाभिमान से अपने पैरों पर चलकर अपनी राह बनाने पर तत्पर हुई और आज स्कूल, कालेज, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों की गतिविधियों में तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन व लेखन कार्यों में बढ़–चढ़ कर भाग ले रही हैं।

दलित उपन्यासों में नारी चेतना–परदेशी के उपन्यास 'जय कलिंग' में दलित नारी राजो के माध्यम से वाणी दी है। राजो मनुष्यों में किसी तरह के भेदभाव को नहीं मानती। वह अपनी सखी से कहती है–

''चमार है तो क्या हुआ! चमार क्या मनुष्य नहीं होते? जिस तरह राजाओं, सामंतों और श्रेष्ठियों का जन्म होता है। उनमें जवानी और बुढ़ापा आता है, उसी तरह शोषितों, समाज के सच्चे सेवकों, दासों और शुद्रों का भी जन्म' होता है। उनमें जवानी और बुढ़ापा आता है, उनके जीवन में भी यौवन के बसंत मुस्कारते हैं, प्रौढ़ावस्था का अनुभव जीवन–पथ न ले जायेंगे, उसके साथ दातादीन को भी ले जायेंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी... .धरमी हो। उसके साथ सोओगे, लेकिन उसके हाथ का पानी नहीं पियोगे।''

चुनाव का समय निकट है। दरोगा जी गांव की तलाशी के बहाने अपनी पूजा करवाना चाहते थे। पर होरी मर्यादा का कायल होने के कारण हीरा के घर की तलाशी में अपना अपमान समझकर मुखियाओं के कहने पर बीस रुपये घूस देने जाता है। पर तब तक धनिया ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया था–होरी घूस न दे सका। उसी समय धनिया सारी व्यवस्था को लताड़ी है–ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद–ब्याज, डेढ़ी–सवाई, नजर–नजराना, घूस–घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, धरम से, न्याय से।

'गोदान' में भय के कारण गोबर जब झुनिया को छोड़कर चला जाता है तो सामाजिक टकराहट शुरू हो जाती है। जब पण्डित दातादीन झुनिया को घर से निकलने की बात मिट जायेंगे, कौन जाने, इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा सराप तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना कहा जरीबाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर के बाहर निकालकर सड़क की भिखारिनी नहीं बना दिया। यही न्याय है–ऐं?''

दलित कहानियों में नारी चेतना : ओमप्रकाश की कहानी 'जंगल की रानी' में डिप्टी साहब प्राइमरी स्कूल का मुआना करने गांव आए थे, तो वे स्कूल का मुआयना तो कम स्कूल की शिक्षिक कमली के सौन्दर्य का मुआयाना अधिक करने लगे थे...कमली को फंसाने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध जाल बुना और उसे ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर हेतु शहर भेजा गया। कमली को देखते ही डिप्टी साहब बेकाबू हो गए थे। भूखे तेंदुए से टूट पड़े कमली पर वह। कमली दरवाजा पीटने लगी। तब तक एस.पी. ने उसे दबोच लिया। कमली के भीतर का जंगल जाग उठा। वह जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी। कानून के रखवालों और कमली के बीच वासना युद्ध में कमली शक्तिशाली संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व की युवती होने के कारण

जुड़ता है, तो विरोध और नकार की ओर संकेत करता है। वह नकार या विरोध चाहे व्यवस्था का हो, सामाजिक विसंगतियों या धार्मिक रूढ़ियों अथवा आर्थिक विषमताओं का हो या भाषा, प्रांत के अलगाव का हो या साहित्यिक परम्पराओं, मानदण्डों या सौन्दर्य शास्त्र का हो, दलित साहित्य नकार का साहित्य है, जो संघर्षों से उपजा हे, जिसमें समता, स्वतन्त्रता और बंधुता का अभाव है, वर्ण–व्यवस्था से उपजे जाति भेद का विरोध है। दलित की व्यवस्था दुःख, पीड़ा, शोषण का विवरण देना या बखान करना ही दलित चेतना नहीं है या दलित पीड़ा का भावुक और अश्रुविगलित वर्णन जो मौलिक चेतना से विहित हो। चेतना का सीधा संबंध दृष्टि से होता हे, जो दलितों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक भूमिका की छवि के तिलिस्म को तोड़ता है, वह है दलित चेतना। यह दलित मानवीय अधिकारों से वंचित, सामाजिक तौर पर जिसे नकारा गया हो।''

दलित साहित्य में चेतना लाने, अपने अधिकारों के लिए संग्राम करने तथा छिन्न लिए गए अधिकारों को वापस लने की प्रेरणा देता है।

दलित साहित्य ऐसा साहित्य है, जो सभी तरह की वर्ण व्यवस्था, जाति–पांत, ऊंच–नीच भेदभाव के दायरे से ऊपर है, जिसे धर्म भाषा नारी को शिक्षित करने और राष्ट्रीय उन्नति में भागीदार बनाने का आह्वान किया। आपके अनुसार– ''शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है। कुछ सोचने समझने एवं चिन्तन करने की शक्ति शिक्षा से ही संभव है।''

उन्होंने सन् 1927 के ऐतिहासिक सम्मेलन में हजारों महिलाओं के साथ महिलाओं को नारकीय जीवन में धकेलने वाली मनुस्मृतियों को जलाकर महिलाओं में क्रान्ति का बिगुल बजाया।

सन् 1930 को कालाराम मन्दिर में प्रवेश के आन्दोलन में हजारों महिलाओं ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के साथ सत्याग्रह में भाग लिया। 16 जून, 1936 को बम्बई के दामोदर हाल में महिलाओं को संबोधित करके डॉ.बी.आर. अम्बेडकर ने कहा–''नारी समाज का गहना है, सभी को उसे सम्मान देना चाहिये।''

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने नारियों में आत्म सम्मान ''आप साहसी बनो, स्वाभिमान से रहो। आपके पेट से जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। ब्राह्मणी के पेट से जन्म लेना कोई पुण्य नहीं। गरीबी से अपने स्वाभिमान को बलि मत चढ़ाओ। स्वाभिमान के बिना जीना पशुओं के तुल्य जीना है। आप भी इंसान की तरह जीओ, स्वामिभमान के साथ सिर ऊंचा करके जीओ।

के कुटिल कंटकों से सावधान करता है और वृद्धि होने पर जरा–जन्म, रोग–शोक और संताप सताते हैं अथवा सचित विवेक काल के कष्ट को जन्मांतर के आमोद में बदल देता है।''

उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द के 'गोदान' में नारी जाग उठी है। गोदान में कर्तव्यशाली किसान अधिकार मांगते हैं, कर्तव्यशील नारी प्रेम मांगती, कर्तव्यशील आत्मा सबका सुख मांतगी है। मुंशी प्रेमचन्द के उपन्यास 'गोदान' में दलितों के जीवन का चित्रण, दलितों के जीवन दर्शन होते हैं। गोदान में दलित चेतना उस समय उग्र रूप धारण कर लेती है, जब सिलिया के मां–बाप और कुछ चमार सिलिया के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय का प्रतिकार करने के लिये ग्वालियान में पहुंच जाते हैं, जहां सिलिया पारिश्रमिक के बिना दातादीन की मजदूरी कर रही थी, सिलिया का बाप हरखू दातादीन को चुनौती देते हुए कहता है–''हम आज या तो दातादीन को चमार बनाकर छोड़ेंगे, या उनका और आपका रकत एक कर देंगे। तुम ''हम ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं. ...हमारी उज्जत लेते हो तो अपना करम हमें दे तो।''

सिलिया की मां भी रणचण्डी बनकर दलित नारी के विद्रोह को वाणी देती है–''हम सिलिया को अकेले कहता है तो धनिया सामाजिकता और मनुष्य के बीच मनुष्य की, विचार और जीवन के बीच जीवन की प्रतिष्ठा करती है उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल–परतिसठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीवन की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही पर उसकी बांह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही किस मुंह से निकाल देती? वही काम बड़े–बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वहीं काम छोटे आदमी करते हैं, उनकी मरजाद बिगड़ जाती है। नाक कट जाती है। बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं।

'गोदान' की 'धनिया'–जिसके जीवन का कोना–कोना विद्रोह की ज्वाला से प्रज्वलित होता रहता है। वह सोचती है कि ''हमने जमींदार के खेत जाते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा उसकी खुशामद क्यों करे? उसके तलवे क्यों सहलाये? धनिया की आवाज केवल धनिया की नहीं है–समस्त शोषित वर्ग का विद्रोह है।

धनिया जब झुनिया को अपने घर में आश्रय देती है तो पंच उस पर आरोप लगा देते हैं तो वह कहती है–''पंचों गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो अपनी अस्मिता बचा ली और कानून के रखवाले जंगली जानवरों को लहूलुहान कर दिया।

डॉ. कुसुम मेघवाल की 'मंगली' और 'अंगारा' की कहानियों की यात्राएं 'मंगली और 'जमना' है। मंगली कहानी की नायिका मजदूर है। वह विधवा होने के बाद घड़ियाली सहानुभूति प्रकट करने वाले ठेकेदार के विश्वास में आकर उसके सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी। वह उसे संरक्षण देने की आड़ में उसका भक्षण करना चाहता था। ठेकेदार मंगली के विरोध दर्ज कराने पर गरजा–''मेरे आश्रय में रहकर मुझे ही आंखें दिखा रही है, चांडाल कहीं की। जिंदगी भर सावित्री ही बनी रहेगी, देखता हूं कैसे बचती है और कौन बचाता है तुझे।'' कहते हुए मंगली की और झपटा और अपनी बांहों में जकड़ना चाहा–लेकिन मंगली शेरनी की भांति झपटी–मंगली ने फुर्ती से अपना घूंघट हटा लिया और आव न देखा ताव, अपनी चूल्हे के पास पड़ी जलावन की माटी लकड़ी उठाई और दे मारी ठेकेदार के सिर में। ठेकेदार को मंगली के अन्दर छिपी नारी शक्ति का भान नहीं था। सिर में चोट लगने से वह वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा।'' मंगली सिस्टम के सड़ेपन से जकड़ती नहीं। उसे न्याय मिलता है और साथ ही मिलती है दलित समाज को नई शक्ति।

सम्पादकीय का शेष...शाहीन बाग की लपटें

समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित इस 'नागरिकता संशोधन विधेयक 2019' को 12 दिसम्बर को अपनी संस्तुति प्रदान की थी। राष्ट्रपति की संस्तुति के साथ ही यह कानून बन गया और 10 जनवरी, 2020 को जारी अधिसूचना के बाद यह 'सी.ए.ए.' कानून लागू हो गया था।

इससे पूर्व आसाम में नागरिक रजिस्ट्रेशन कानून के तहत सर्वे हुआ। उसमें 19 लाख लोगों को आसाम का नागरिक न मानते हुए उनकी नागरिकता खत्म कर दी गई। चूंकि वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश से आये घुसपैठिये हैं, इसलिए उन्हें वापिस अपने देश जाना होगा। अब नये नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) में स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश में प्रताड़ित हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी को वे भारत की नागरिकता देंगे। इसमें बाहर देशों से प्रताड़ित मुसलमानों का जिक्र नहीं है, जबकि इस कानून में 'धर्म' के आधार पर नागरिकता

यू., अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनीवर्सिटी, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, जादवपुर यूनीवर्सिटी आदि के छात्र–छात्राओं ने सड़कों पर आकर इन काले कानूनों का विरोध किया। दिल्ली में शाहीन बाग (ओखला) में इन काले कानूनों को वापिस लेने के लिए धरना– प्रदर्शन शुरू हुआ, जहां 40–45 दिनों से महिलायें और बच्चे खुली सड़क पर धरना–प्रदर्शन में डटे हुए हैं। उनसे प्रेरित होकर देश के सभी शहरों पर इन काले कानूनों के खिलाफ शाहीन बाग की तरह ध रना प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने अपने–अपने प्रदेश में इन कानूनों को लागू करने से इन्कार कर दिया है और अपनी– अपनी विधानसभा में इन काले कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव भी पास कर दिये हैं।

देश के दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग भी इन दोनों काले कानूनों को बाबा साहब डा. अम्बेडकर द्वारा निर्मित 'भारतीय संविधान' के विरुद्ध मानते हैं। उन्हें डर है कि पुनः भारत के 'हिन्दू राष्ट्र' बन जाने पर वे भी दोयम दर्जे के नागरिक बन जायेंगे और उन पर से लोकतंत्र मजबूत होता है। असहमति से भी देश को ताकत मिलती है। देश दोनों को ही साथ लेकर आगे बढ़ सकता है।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विरोधी दलों के नेताओं को नागरिक संशोधन कानून पर बहस के लिए चुनौती दी कि वे किसी भी मंच पर आकर बहस कर लें। इस कानून में हमें कोई खामी हो तो बतायें। उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि सी.ए.ए. को लेकर सरकार के 9 झूठ मैं सामने रख रहा हूं। उनका पहला झूठ है कि यह कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। लगता है कि उन्होंने नागरिकता कानून नहीं पढ़ा है। पहली बार हमारे देश में नागरिकता धर्म के आधार पर दी जा रही है। उनका दूसरा झूठ है कि सीएए का एनसीआर से कोई ताल्लुक नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि पहले यह कानून आयेगा और फिर एन.आर.सी. लाया जायेगा। उनका तीसरा झूठ यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एन.आर.सी. पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि एन.आर.सी. नहीं किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में 28 लोग मारे गये। यह कैसे हुआ? इस तरह भाजपा की केन्द्रीय सरकार ने सी.ए.ए., एन.आर.सी. और एन.पी.आर. के सन्दर्भ में 9 बार झूठ बोला।

सी.ए.ए. की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिकायें दायर की गई। याचिका दायर करने वालों में इन्डियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, तृणमूल के सांसद महुआ मोइत्रा, आर.जे.डी. के सांसद मनोज झा, ई.आई.एम.आई.एम. के नेता असुद्दीन ओवेशी, आसूपीस पार्टी, वकील मनोहर लाल शर्मा और कानून के अनेक छात्र शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2020 को सी.ए.ए. की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर गौर करते हुए कहा कि इस पर केन्द्र सरकार का पक्ष सुने बिना संशोधित नागरिकता कानून (सी.एन.एन.) के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जायेगी। इस कानून के सम्बन्ध में सरकार को चार हफ्ते में जवाब देना होगा। पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस कानून की वैधता के बारे में फैसला देगी।

अब नागरिकता संशोधन कानून (सी.ए.ए.) की वैधता के विषय में डाली गई सभी याचिकाओं में चार हफ्ते बाद सुनवाई शुरू होगी। तभी पांच न्यायाधीशों की पीठ बनाई जायेगी और फिर मामला सूचीबद्ध किया जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्टीकरण से शाहीन बाग की लपटें भले ही कुछ धीमी हो जायें, पर अब उन्हें विश्वास जगा है कि उनके कदम ठीक हैं, उनकी सोच ठीक है, उनकी मांग वाजिब है। इसलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय का देशहित में जो भी फैसला होगा, वह सिर–माथे होगा।

भारत माता की जय, भारतीय संविधान की जय, संविधान निर्माता बाबा साहब डा. अम्बेडकर की जय।

– डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

भारतीय दलित साहित्य अकादमी एवं 'हिमायती' हिन्दी पाक्षिक पत्र की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई!!

प्रदान करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। वह 'धर्म' के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता, फिर केवल मुसलमानों को इस 'सीएए' (नागरिकता संशोधन कानून) में नागरिकता प्रदान करने से वंचित कर दिया है जो संविधान के विरुद्ध है। देश के मुसलमानों में इस उपेक्षा भरे नये कानून से धार्मिक भेदभाव का भय उत्पन्न हो गया।

नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा कर दी कि देश में 'राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन' (एन.आर.सी.) का काम भी शुरू किया जा रहा है और जो भारत के नागरिक नहीं होंगे उन्हें चुन–चुन कर देश से बाहर निकाला जायेगा।

सी.ए.ए. (नागरिक संशोधन कानून) से देश के मुसलमान पहले ही भयभीत थे, पर केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के संसद में दिये उनकी इस घोषणा ने मुसलमानों के अन्दर खलबली मचा दी कि अब 'राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन' के तहत मोदी सरकार उन्हें भारत की नागरिकता से वंचित करके भारत को मुस्लिम मुक्त 'हिन्दू राष्ट्र' बनायेगी। इसी डर से देश के सभी राज्यों में इन दोनों कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। जे.एन. मनुस्मृति के ये काले कानून फिर थोप दिये जायेंगे। इसलिए वे भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए और भारत को ब्राह्मणवादी हिन्दू वर्ण व्यवस्था से बचाने के लिए सजग होकर इन काले कानूनों के खिलाफ खड़े हो गये हैं। इसी से देश में अराजकता, भय, मारपीट, लूट खसोट, तोड़फोड़, आगजनी का माहौल बन गया है, भाजपा शासित प्रदेशों में पुलिस द्वारा दमन, शोषण, अत्याचार, झूठे मुकदमे, नाजायज हिरासत के कारण लोगों का विरोध और उग्र रूप धारण करता जा रहा है।

सबसे दुःखद बात यह है कि इन काले कानूनों पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोगों की शंका को दूर करने के लिए जहां यह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वहीं उनके केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसद में बार–बार कह चुके हैं कि जो भारत का नागरिक नहीं होगा उसे चुन–चुन कर देश से बाहर करेंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब यह नागरिक संशोधन कानून किसी भी कीमत पर वापिस नहीं लिया जायेगा। जो इसका विरोध कर रहे हैं वे 'देशद्रोही' हैं।

देश के इन हालातों को देखते हुए भू.पू. राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि सहमति और असहमति लागू की जायेगी। उनका चौथा झूठ यह है कि एन.आर.सी. प्रक्रिया अभी अधिसूचित नहीं हुई है, जबकि यह प्रावधान पहले ही 2003 के कानून में है। उनका पांचवां झूठ यह है कि एन.आर.सी. की प्रक्रिया आरम्भ नहीं हुई है, जबकि सरकार ने पिछले साल कहा था एन.पी.आर. के तहत एन.आर.सी. के 'डेटा' एकत्र किये जायेंगे। उनका छठा झूठ यह है कि 'एन.पी.आर.' का 'एन.आर.सी.' से कोई सम्बन्ध नहीं है, जबकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि एन.पी.आर. एन.आर.सी. का पहला कदम है। एन.पी.आर. के बिना एन.आर.सी. नहीं हो सकता। उनका सातवां झूठ यह है कि किसी भी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है। असम की एन.आर.सी. से पूर्व राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम गायब है। कारगिल में भाग लेने वाले सैनिक सना उल्लाह का नाम भी एन.आर.सी. में नहीं आयेगा। वे गरीब अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे क्योंकि उनके पास कागजात नहीं हैं। उनका आठवां झूठ यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई 'डिटेंशन सेंटर' नहीं है जबकि हकीकत यह है कि छह डिटेंशन सेंटर पहले से मौजूद हैं। उनका नौवां झूठ यह है कि प्रदर्शनकारियों पर कोई बल प्रयोग

कुंडली

समता बिन मेरे देश का,
कभी न हो कल्याण।
जाति धर्म का भ्रम त्याग कर,
बनो नेक इन्सान।।

बनो नेक इन्सान,
स्यार भाषा को छोड़ो।
जाति–धर्म से तोड़ के रिश्ता,
मानवता से जोड़ो।।

कहे 'विदूषक' कविराम,
सभी हम भाई–भाई।
हुआ–हुआ की भाषा तजकर,
लो राष्ट्रीयता अपनाई।

मुक्तक

जिसके दिल में दर्द नहीं,
इन्सान का।
वो बन्दा–बन्दा नहीं,
भगवान का।।

हे काम इन्सान का,
इन्सान के काम आना।
ऐसा जो कर न सके,
वोह बन्दा है शैतान का।।

अमर रहे गणतंत्र हमारा

समता का सब दीप जलायें
नवयुग लाने को।
ऊंच–नीच का भेद मिटायें।
नवयुग लाने को।।

आतंक मचा हुआ दुनिया में
त्राहि–त्राहि चंहु ओर।
करें सुरक्षा मानवता की।
नवयुग लाने को।।

एक वृक्ष की शाखें सब हैं
भिन्न नहीं कोई अंग।
एक रहें नेक बने सब।
नवयुग लाने को।।

बहुत हो चुका, खेल द्वेष का
चलें प्रगति की ओर।
राष्ट्र प्रेम के गीत गायें।
नवयुग लाने को।।

मिटे गरीबी लाचारी सब
जन–जन सब खुशहाल हों।
सब हाथों को काम मिले।
नवयुग लाने को।।

अमर रहे गणतंत्र हमारा
रहें अमर सब बलिदानी।
अमर 'विदूषक' संविधान है।
नवयुग लाने को।।

– चेतराम 'विदूषक'

हिमायती
4 / फरवरी (प्रथम), 2020 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 फरवरी, 2020

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 30 जनवरी, 2020

पृष्ठ 1 का शेष...दलित आन्दोलन : मीडिया की भूमिका

चित्रण नहीं हो पाया, न सही तस्वीर ही बन पाई। उदाहरण के लिये राजस्थान में बागड़ बांसवाड़ा और डूंगरपूर क्षेत्र का जलियांवाला मानगडिया काण्ड के संघर्षशील योद्धा गुरु गोविन्द, हल्दीघाटी के युद्ध में अद्‌भुत शौर्य का प्रदर्शन करने वाले हकीम खां सूर, मेवाड़ के भील नायक मोतीलाल तेजावत के त्याग और बलिदान तथा संघर्षशील जीवन को देखते हुए न तो उन पर समुचित ढंग से काम ही हुआ है, न उन्हें यथोचित सम्मान ही मिला है, न उन्हें उपयुक्त प्रचार ही मिला है।

आजादी के बाद इतिहास ने करवट ली, समय के तेवर बदले। उत्पीड़ित समुदाय जागा, उसकी आंकांक्षाएं बलवती हुईं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से बना देश का संविधान लागू होने से भारत एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र बना। साथ ही लोकतन्त्र के शासन ने संख्या बल के महत्व को सत्ता में भागीदारी के लिये प्रतिष्ठित किया। सत्ता के कारण सत्ता के द्वारा मिलने वाली आर्थिक उसके महत्व को समझा गया और अब सच्चाई तथा तर्क संगत मुद्‌दों की गहराई के साथ उसके विषय में लिखा जाने लगा है। आजादी के वर्षों बाद भी यह अनुभव किया गया कि पत्र पत्रिकाओं में दलितों से सम्बन्धित समाचारों की उपेक्षा की जाती है। यदि घटनाओं को प्रकाशित भी किया जाता है तो उन पर सम्पादकीय अथवा चिन्तन प्रधान लेख प्रकाशित नहीं किये जाते।

डॉ. सोहनलाल सुमनाक्षर अपनी पुस्तक–विश्व धरातल पर दलित साहित्य में कहते हैं–इससे व्यथित होकर एक दिन बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि सभी बड़े समाचार पत्र हिन्दू घरानों के हैं जो दलितों की बात अपने पत्रों में छापने से बचते हैं। इसके लिये एक दैनिक पत्र छापने से भी काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा यही है कि दलितों के जितने छोटे–छोटे समाचार पत्र निकलते हैं, उनके सम्पादक व मालिकों को बुलाकर उन्हें दलित समस्या सम्बन्धी लेख समाचार छापने क लिये एक समान नीति अपनाने का सुझाव दिया जाए, उन्हें सूझबूझ कायम करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। फिशर महात्मा गांधी के इस संकल्प में सबसे अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत के दलितों, अछूतों और हरिजनों के साथ साथ समाज के दबे कुचले लोगों की स्थिति सुधारने की कोशिश की। यह बात जनसत्ता एवं देश के बड़े पूंजीपतियों के अन्य अखबारों में भी छपी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सम्पूर्ण जीवन शोषितों, पीड़ितों, अछूतों और दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष करने में बिता दिया। उनको आरक्षण के माध्यम से सुविधायें दिलाने के लिये संविधान की रचना करते समय विशेष व्यवस्था की। यह दुर्भाग्य की बात है आज बाबा साहब को समुचित सम्मान के साथ समाचार पत्र उद्‌घृत नहीं करते। मौलाना सर सैयद अहमद खां, अली बदर्त बुनियादी तौर पर इसी प्रकार मुसलमानों के उत्थान के लिये प्रत्यनशील रहे हैं। दोनों वर्ग की समस्यायें एक सी हैं। दोनों बड़े में प्रथम पंक्ति में आ सकेगा। समय ने जो परिवर्तन का संकेत दिया है, उससे भविष्य के उज्ज्वल होने की कल्पना की जा सकती है। अब फूलन देवी पर अत्याचार होता है तो समाचार पत्र सत्य को व्यक्त करते हैं, अब मस्जिद टूटती है तो हंगामा होता है। श्रीनाथ मन्दिर में हरिजन प्रवेश को लेकर राष्ट्रव्यापी पत्रकारिता अपनी अहम भूमिका निभाती है। मुजफ्फरनगर जिले के रोहाना में जब एक दलित महिला की हत्या होती है तो मुलायम, मायावती, सैयद शाहबुद्‌दीन और राम विलास पासवान की हिमायत के बयान राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्र प्रसारित करते हैं।

बम्बई में या गुजरात में बाबा साहब की मूर्ति टूटती है या दलित पर अत्याचार होता है तो सरकार कांपती है। वह दलित विकास और कल्याण के घड़ियाली आंसू ही क्यों न बहाये, उसे पत्रकार और अखबार को उत्तर देना पड़ता है। पत्रकारिता खोजूर्ण सामग्री जुटाने में उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका शोषित पीड़ित समाज सामाजिक न्याय' में कहते हैं कि दलित साहित्य की भांति ही दलित पत्रकारिता की भूमिका को सशक्त और मूल्यवान बनाने के लिये हमें सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री आन्द्रे बेले के इस कथन को सदैव स्मरण करते रहना चाहिये–''मानव इतिहास से मालूम होता है कि पद दलित वर्ग और समाज का सताया मानव एक सीमा तक संघर्ष से आगे बढ़ा है। इसलिए यह धारणा कि मुक्ति की यह प्रक्रिया बिल्कुल की शान्तिपूर्वक पूरी हो जायेगी, यथार्थपरक नहीं है। इसका यह अर्थ भी कतई नहीं है कि जानबूझ कर संघर्ष और तनाव की स्थिति बनाई जाये। पर प्रक्रिया में संघर्ष और तनाव अवश्य ही निहित है।''

इसलिये दलित पत्रकारिता को सामाजिक न्याय और दलितोत्थान के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योग्य यदि हमें बनाना है तो हमें अपने लोगों को पत्र और पत्रकारिता से जोड़ना होगा। हमारे अपने प्रेस और अखबार तैयार करने होंगे। दलित पत्रकारिता का दायित्व निभाने वाले समाचार पत्रों को सशक्त

सामाजिक उपलब्धियों का विकेन्द्रीकरण हुआ किन्तु उनके सीमित होने के कारण स्पर्द्धा और दुराग्रही कटुता का विस्तार होता गया।

डॉ. राम मनोहर लोहिया ने हमेशा चिन्तन और अध्ययन पर आधारित वैचारिक पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता प्रतिपादित की है। पत्रकारिता को लोकतन्त्र का एक प्रमुख आधार स्तम्भ माना जाता है। समाज के बदलते स्वरूप का प्रभाव पत्रकारिता पर भी पड़ा है। जिस तरह समाज की तस्वीर बदली है, उसी तरह प्रकाशक, सम्पादक, लेखक और पत्रकार का दृष्टिकोण भी बदला है। पत्रकारिता के स्वर, तेवर व अन्दाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन सम्पूर्ण समाज के साथ साथ दलित उत्थान के लिये भी लाभकारी है। इसमें सन्देह नहीं कि उसके प्रवाह की गति धीमी है किन्तु इस परिवर्तन की प्रक्रिया ने दलित वर्ग के साथ हो रही सामाजिक, आर्थिक बदलाव की दिशा में निष्पक्ष टिप्पणी करने का क्रम प्रारम्भ किया है।

मण्डल के मामले में पहले सम्भ्रम की स्थिति बनी, किन्तु धीरे–धीरे यह भी समझाया जाये कि वे हिन्दुओं के गलत प्रचार का पर्दाफाश कैसे कर सकते हैं?

इसे दलित पत्रकारिता का आह्वान भी कहा जा सकता है। बाबू जी के दिशा निर्देशन में डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर ने पहला दलित समाचार पत्र सम्पादकों को सम्मेलन 8 अगस्त, 1981 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्पूर्ण भारत से 150 से अधिक दलित समाचार पत्रों के लेखकों, सम्पादकों एवं पत्रकारों ने सक्रियता के साथ इसमें भाग लिया। बाबू जी ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। बाबू जी ने दलित पत्रकारों एवं लेखकों से कहा कि वे सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश करें, हिन्दू धर्म शास्त्रों का भण्डाफोड करें। दलितोत्थान के लिये निडर होकर लिखें। इस प्रकार दलित लेखन को नई दिशा मिली और दलित पत्रकारिता को उद्देश्यपूर्ण निर्देशन मिला।

1997 का गांधी शान्ति पुरस्कार विजेता जर्मनी निवासी फिशर ने बोन में 9 अक्टूबर, 1997 को कहा कि गांधी से हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच मुस्लिमों को दलित के रूप में देखा। भाईचारा और बेहतर वर्ग की तलवार से कटते जा रहे हैं। दोनों में शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक सुधार आवश्यक है। दोनों में अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता एक सी है। दोनों में सामाजिक न्याय और परिवर्तन के स्वर प्रखरता से सुनने को मिल रहे हैं। दोनों को न्याय, समानता और राजनैतिक भागीदारी चाहिये।

दुर्भाग्य की बात यह है कि न तो एकता के लिये तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं और न ही पत्रकारिता के द्वारा वास्तविकता को प्रकाश में लाया जा रहा है। दलितों की अच्छाईयों की खबर छोटी होती है। उन पर होने वाली ज्यादतियों को नजर अन्दाज कर दिया जाता है। सामन्ती एवं रूढ़िवादी इलाके में दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ पाता, अखबार सुर्खियों में खबर छापता है किन्तु उस पर न तो टिप्पणी होती है, न कोई बहस होती है, न कोई ठोस कानूनी कार्यवाही।

दलित पत्रकारिता में यह होगा जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होने की चेतना जागेगी। यह बदलते हुए युग की मांग है जिसके पूरा होने पर देश परिवर्तन की प्रक्रिया पर सकारात्मक असर होता है। दलित पत्रकारिता के उद्भव ने प्रेस के योगदान को महत्वपूर्ण बनाने का दायित्व निभाया है।

समय में परिवर्तन ने दलित साहित्य के योगदान का महत्व प्रतिष्ठित किया है। हिमायती अखबार के सम्पादकीय में लिखा है कि दलित साहित्यकारों की लेखनी ने शंबूक ऋषि को वीर नायक और पुरुषोत्तम राम को उनका हत्यारा घोषित कर दिया, अनार्य राजा रावण को पूजनीय बना दिया है। इसी तरह आज एकलव्य को दलितों का वीर नायक, कर्ण को महापुरुष और गुरु द्रोणाचार्य को राष्ट्रद्रोही साबित कर दिया है। आज झलकारी बाई ही असली झांसी की रानी, मातादीन वाल्मीकि ही 1857 का असली नायक और बाबा साहब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ही महान संविधान निर्माता सिद्ध हो चुके हैं। इस तरह दलित साहित्य ने सभी प्रतिपादित परिभाषाओं को बदल कर थोड़े समय में ही महान सफलता प्राप्त की है।

डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी अपनी पुस्तक 'दलित साहित्य और बनाने के लिये सक्रिय सहयोग देना होगा। एक सशक्त योजना बनानी होगी जिसके अन्तर्गत सामाजिक परिवर्तन की मानसिकता का निर्माण करने के लिये प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने होंगे, सेमिनार बुलाने होंगे तथा बहस का क्रम निरन्तर संचालित करना होगा। तपस्या के अनवरत क्रम में ही हम सदियों की इस दासता से मुक्ति पा सकेंगे। तभी प्रेस का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग अपने विकास, समानता और कल्याण के लिये कर पायेंगे। •

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें—

सम्पादक :
हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009